रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 2, 2004/चैत्र 13, 1926
No. 175] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 2, 2004/CHAITRA 13, 1926

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2004
सं. 53/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 250(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2933 61 00 के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए मेलामाइन, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 1 मार्च, 2004 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं0 14/16/2003-डीजीएडी, तारीख 27 फरवरी, 2004 में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(क) चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए मेलामाइन,सभी रूपो में, भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है;

(ख) पाटित मेलामाइन के कम अवतरण मूल्य के कारण कीमत में ह्रास से हुई वित्तीय हानि के रूप में घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति हुई है;

(ग) यह क्षति, संचयी रूप से चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए मेलामाइन के पाटन के कारण हुई है;

और चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए मेलामाइन के सभी आयातों पर, अंतिम निर्धारण होने तक, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते है, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, और उक्त आयातित माल के, उसी करेंसी और प्रति मापन ईकाई में व्यक्त, अवतरण मूल्य, के बीच अंतर के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है ।

सारणी

क्रम सं0	टैरिफ मद	वस्तुओ का विवरण	विनिर्देशन	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की ईकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	293361 00	मेलामाइन	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	तियांजिन कैवई केमिकल कं0 लि0	तियांजिन कैवई केमिकल कं0 लि0	1294.09	मी.टन	अम.डा.
2	293361 00	मेलामाइन	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	तियांजिन कैवई केमिकल कं0 लि0	तियांजिन कैवई केमिकल कं0 लि0 के अलावा कोई दूसरे निर्यातक	1464.64	मी.टन	अम.डा.
3	293361 00	मेलामाइन	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	तियांजिन कैवई केमिकल कं0 लि0 के अलावा दूसरे उत्पादक	तियांजिन कैवई केमिकल कं0 लि0 के अलावा दूसरे निर्यातक	1464.64	मी.टन	अम.डा.
4	293361 00	मेलामाइन	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा दूसरे देश	तियांजिन कैवई केमिकल कं0 लि0	कोई निर्यातक	1464.64	मी.टन	अम.डा.
5	293361 00	मेलामाइन	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा दूसरे देश	तियांजिन कैवई केमिकल कं0 लि0 के अलावा दूसरे उत्पादक	कोई निर्यातक	1464.64	मी.टन	अम.डा.
6	293361 00	मेलामाइन	मेलामाइन	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा दूसरे देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	1464.64	मी.टन	अम.डा.

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क 1 अक्तूबर, 2004 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण:-- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,–

(क) " अवतरण मूल्य " से ऐसा निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन निर्धारित किया गया हो और इसके अंतर्गत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3,धारा 3क, धारा 8ख धारा 9 और धारा 9क के अधीन उद्गृहीत शुल्कों को छोडकर, सभी सीमाशुल्क आते हैं;

(ख) प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू " विनिमय दर " वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय–समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और " विनिमय दर " के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन " प्रवेश पत्र " के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/28/2004–टीआरयू]

जी. एस. कार्की, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2004

No. 53/2004-CUSTOMS

G.S.R. 250(E).— WHEREAS, in the matter of import of Melamine, falling under tariff item 29336100 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China, the designated authority *vide* its preliminary findings in notification No.14/16/2003-DGAD, dated the 27th February, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st March, 2004, has come to the conclusion that -

(a) Melamine, in all forms, originating in, or exported from the People's Republic of China, have been exported to India below its normal value;

(b) the domestic industry has suffered material injury by way of financial losses due to suppressed Net Sales Realisation (NSR) on account of price undercutting/underselling caused by low landed prices of the dumped Melamine;

(c) the injury has been caused to the domestic industry by dumping of the Melamine, originating in or exported from the People's Republic of China,

and has considered it necessary to recommend the imposition of provisional anti-dumping duty on import of such Melamine, in all forms, originating in or exported from the People's Republic of China;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to the difference between, the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table, and the landed value of such imported goods in like currency per like unit of measurement.

TABLE

Sl. No	Tariff item	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	29336100	Melamine	Melamine	China PR	China PR	Tianjin Kaiwei Chemical Co. Ltd	Tianjin Kaiwei Chemical Co. Ltd	1294.09	Metric tonne	US Dollar
2.	29336100	Melamine	Melamine	China PR	China PR	Tianjin Kaiwei Chemical Co. Ltd	Any exporter other than Tianjin Kaiwei Chemical Co. Ltd	1464.64	Metric tonne	US Dollar
3.	29336100	Melamine	Melamine	China PR	China PR	Any producer other than Tianjin Kaiwei Chemical Co. Ltd	Any exporter other than Tianjin Kaiwei Chemical Co. Ltd	1464.64	Metric tonne	US Dollar
4.	29336100	Melamine	Melamine	China PR	Any country other than China PR	Tianjin Kaiwei Chemical Co. Ltd	Any exporter	1464.64	Metric tonne	US Dollar
5.	29336100	Melamine	Melamine	China PR	Any country other than China PR	Any producer other than Tianjin Kaiwei Chemical Co. Ltd	Any exporter	1464.64	Metric tonne	US Dollar
6.	29336100	Melamine	Melamine	Any country other than China PR	China PR	Any producer	Any exporter	1464.64	Metric tonne	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 1st day of October, 2004, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, -

(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;

(b) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/28/2004-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.